RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 08 / 2024

प्रार्थी– *बनाम* **अप्रार्थी–**

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।

1. श्री प्रकाश पुत्र रायचन्द्र, फर्म मैसर्स प्रकाश रायचन्द्र विश्नोई, निवासी कमालपुरा, कारोला, सांचौर, जिला सांचौर।
2. श्री गोविन्द कुमार पुत्र कन्हैयालाल, निवासी दोसिया वास, साचौर, जिला सांचौर, हाल निवासी प्रकाश विश्नोई / रायचन्द विश्नोई विष्णु कॉलोनी, बाड़मेर। (वाहन के मालिक RJ04 GA 4014)
3. श्री गोमाराम माली पुत्र श्री मगाराम, टांका स्टेशन, आलमसर, बाड़मेर। (वाहन ड्राईवर RJ04 GA 4014)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण बावजुद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 11.11.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 13.05.2024 को श्री रोशन खान उचित मूल्य दुकानदार श्यामपुरा गिड़ा पोश संख्या 30508 द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गई कि खाद्यान परिवहनकर्ता मैसर्स प्रकाश रायचन्द द्वारा ट्रक संख्या आरजे 04 जीए 5576 चालान संख्या CAW00013721887 दिनांक 05.05.2024 को 7665.170 किलोग्राम गेहूं आपूर्ति हेतु एफसीआई डिपो से बाड़मेर से उचित मूल्य पहूंचा। डीलर द्वारा गेहू तोलकर खाली करवाने पर गेहूं की मात्रा 4711.170 किलोग्राम ही पायी गई। इस प्रकार 254 किलोग्राम गेंहू परिवहनकर्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार श्री रोशन खां को कम आपूर्ति की गई। दिनांक 17.05.2024 को परिवहनकर्ता द्वारा ट्रक संख्या RJ04GA4014 द्वारा 254 किलोग्राम गेहूँ भिजवाये गये, जिस पर डीलर द्वारा चालान की प्रति मांगी गयी किन्तु ट्रक चालक द्वारा कोई चालान उपलब्ध नहीं करवाया गया। ऐसे में ट्रक चालक द्वारा FCI मार्का सीलबंद 05 कट्टो में 254 किलोग्राम गेहूँ डीलर के दुकान पर बिना प्राप्ति छोड़कर चले जाने पर जांच अधिकारी द्वारा उक्त को अवैध मानते हुए मौके से जब्त किया गया एवं डीलर श्री रोशन खां को

जिला कलक्टर
बालोतरा

सुपुर्दगी में दिया जाकर जब्त खाद्यान्न के निस्तारण हेतु माननीय न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय उपराध है तथा जब्तसुदा 254 किलोग्राम गेहूं को राजसात करने का आदेश फरमावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं दौराने बहस यह कथन किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न परिवहनकर्ता मैसर्स प्रकाश रायचन्द द्वारा माह मई 2024 में ग्राम पंचायत श्यामपुरा के उचित मूल्य दुकानदार श्री रोशन खां को ट्रक संख्या RJ04GA5576 चालान संख्या CHAW00013721887 दिनांक 05.05.2024 को 7665.170 किलोग्राम गेहूँ आपूर्ति हेतु FCI डिपो बाड़मेर से उचित मूल्य दुकान पर पहुँचा। डीलर द्वारा गेहूँ तोलकर खाली करवाने पर गेहूँ की मात्रा 7411.170 किलोग्राम पायी गयी। इस प्रकारा 254 किलोग्राम गेहूँ परिवहनकर्ता द्वारा कम आपूर्ति की गयी। कम गेहूँ प्राप्त होने पर डीलर द्वारा खाद्यान्न परिवहन की प्राप्ति रसीद ट्रक चालक को नहीं दी गयी एवं कम गेहूँ बाबत व्हाट्सएप्प के माध्यम से शिकायत की गयी। शिकायत के संबंध में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा निगम प्रबंधक एवं निगम के प्रतिनिधियों से सर्म्पक करने एवं शेष रहे खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु कहने पर भी निगम प्रबंधक द्वारा कोई संतोष जनक जवाब नहीं दिया गया। दिनांक 17.05.2024 को परिवहनकर्ता द्वारा ट्रक संख्या RJ04GA4014 द्वारा 254 किलोग्राम गेहूँ भिजवाये गये, जिस पर डीलर द्वारा चालान की प्रति मांगी गयी किन्तु ट्रक चालक द्वारा कोई चालान उपलब्ध नहीं करवाया गया। ऐसे में ट्रक चालक द्वारा FCI मार्का सीलबंद 05 कट्टो में 254 किलोग्राम गेहूँ डीलर के दुकान पर बिना प्राप्ति छोड़कर चले जाने पर जांच अधिकारी द्वारा उक्त गेहूँ को अवैध मानते हुए मौके से जब्त किया गया एवं डीलर श्री रोशन खां को सुपुर्दगी में दिया जाकर जब्त खाद्यान्न के निस्तारण हेतु माननीय न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में निवेदन है कि डीलर को उपलब्ध करवाये जाने 7665.170 किलोग्राम गेहूँ के विरूद्ध 7411.170 किलोग्राम गेहूँ ही प्राप्त हुआ हैं एवं डीलर द्वारा पोश मशीन में भी 7411.170 किलोग्राम गेहूँ ही रिसिव किया हैं। 254 किलोग्राम गेहूँ रिसिव किया जाना शेष है। साथ ही जब्त खाद्यान्न FCI मार्का का सीलबंद कट्टो में भण्डारित है ऐसे में सम्भावित है कि उक्त गेहूँ सरकारी योजनाओं का हैं। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि जब्त गेहूँ का निस्तारण राज्य पक्ष में कराने का श्रम करावे। ताकि जब्त गेहूँ का पोश मशीन में अपडेशन करा नियमानुसार उपभोक्ताओं में वितरण करवाया जा सके।

4. हमने प्रार्थी की बहस सूनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे यह पाया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न परिवहनकर्ता मैसर्स प्रकाश रायचन्द द्वारा माह मई 2024 में ग्राम पंचायत श्यामपुरा के उचित मूल्य दुकानदार श्री रोशन खां को ट्रक संख्या RJ04GA5576 चालान संख्या CHAW00013721887 दिनांक 05.05.2024 को 7665.170 किलोग्राम गेहूँ आपूर्ति हेतु FCI

जिला कलक्टर
बालोतरा

डिपो बाड़मेर से उचित मूल्य दुकान पर पहुँचा। डीलर द्वारा गेहूँ तोलकर खाली करवाने पर गेहूँ की मात्रा 7411.170 क़िलोग्राम पायी गयी। इस प्रकारा 254 किलोग्राम गेहूँ परिवहनकर्ता द्वारा कम आपूर्ति की गयी। दिनांक 17.05.2024 को परिवहनकर्ता द्वारा ट्रक संख्या RJ04GA4014 द्वारा 254 किलोग्राम गेहूँ भिजवाये गये, जिस पर डीलर द्वारा चालान की प्रति मांगी गयी किन्तु ट्रक चालक द्वारा कोई चालान उपलब्ध नहीं करवाया गया। ऐसे में ट्रक चालक द्वारा FCI मार्का सीलबंद 05 कट्टो में 254 किलोग्राम गेहूँ डीलर के दुकान पर बिना प्राप्ति छोड़कर चले जाने पर जांच अधिकारी द्वारा उक्त गेहूँ को अवैध मानते हुए मौके से जब्त किया गया एवं डीलर श्री रोशन खां को सुपुर्दगी में दिया जाकर जब्त खाद्यान्न के निस्तारण हेतु माननीय न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के कथनानुसार डीलर को उपलब्ध करवाये जाने 7665.170 किलोग्राम गेहूँ के विरूद्ध 7411.170 किलोग्राम गेहूँ ही प्राप्त हुआ हैं एवं डीलर द्वारा पोश मशीन में भी 7411.170 किलोग्राम गेहूँ ही रिसिव किया हैं। 254 किलोग्राम गेहूँ रिसिव किया जाना शेष है। इस प्रकार जब्त खाद्यान्न FCI मार्का का सीलबंद कट्टो में भण्डारित है ऐसे में सम्भावित है कि उक्त गेहूँ सरकारी योजनाओं का होने से जब्त गेहूँ का निस्तारण राज्य पक्ष में किया जाना प्रतीत होता है ताकि जब्त गेहूँ का पोश मशीन में अपडेशन करा नियमानुसार उपभोक्ताओं में वितरण करवाया जा सके।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा को स्वीकार करते हुए हस्तगत प्रकरण मे बरामद खाद्यान्न गेंहू के कुल FCI मार्का सीलबंद 05 कट्टो में 254 किलोग्राम गेहूँ को सरकार के पक्ष करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि जब्त किये FCI मार्का सीलबंद 05 कट्टो में 254 किलोग्राम गेहूँ नियमानुसार निस्तारण किया जावें।

6. आदेश आज दिनांक 11.11.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा